

नम्बर
अहक
हुकम
में

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

27919 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य
कार्यो में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...3.11.019.....
को पेश हो।

10/11
रीडर

311019 वकील प्रार्थी उप०। अदस पुनः सुनी
गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 11.11.19 को
पेश हो।

11119 वकील प्रार्थी उप०। प्रा०पत्र 136 L.R.A.
स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक
से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया
गया। पत्रावली में सलशुमार होकर नम्बर से
क्रम हो एवं बाद तक मील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी (स०मा०)

मुकदमा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

74/2019

21.12.2019

11.11.2019

विजयसिंह उर्फ अशोक पुत्र श्यामलाल जाति बैरवा निवासी नौगाँव तह0 गंगापुर सिटी

—प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. कौशल पुत्र श्यामलाल, बैरवा निवासी नौगाँव तह0 गंगापुर सिटी
3. साबूती बेबा श्यामलाल, बैरवा निवासी नौगाँव तह0 गंगापुर सिटी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :- श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से निर्णय

प्रार्थी विजयसिंह उर्फ अशोक, बैरवा निवासी नौगाँव तह0 गंगापुर सिटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अशोक दर्ज हो गया है जो प्रार्थी का घर का बोलता नाम है। प्रार्थी का नाम सरकारी रिकार्ड में विजयसिंह है। प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में सही नाम विजयसिंह उर्फ अशोक दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि नुमे ख0न0 796, 1014, 1015, 1016, 1511 खाता संख्या 319 जमाबंदी संवत् 2073-76 ग्राम नौगाँव में खातेदारी के कॉलम में प्रार्थी का नाम अशोक पुत्र श्यामलाल के स्थान पर विजयसिंह उर्फ अशोक पुत्र श्यामलाल दर्ज किया जावे और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 319, सरपंच ग्राम पंचायत नौगाँव का प्रमाण पत्र, छायाप्रति आधार कार्ड, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड प्रस्तुत किये हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/2019/1326 दिनांक 25.7.2019 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सही दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी का अवलोकन किया गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के साथ प्राप्त विरासत नामान्तकरण संख्या 716 दिनांक 23.05 के अनुसार श्यामलाल की विरासत जो दर्ज हुई है उसमें प्रार्थी का




उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

विजयसिंह बनाम लैण्ड होल्डर वगैरा, प्रा0पत्र 136 लै0रे0एक्ट
(2)

नाम अशोक अंकित किया गया है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के राशनकार्ड, मतदाता सूची, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2000 की अंकतालिका में प्रार्थी का नाम विजयसिंह दर्ज है। परिजनों एवं ग्रामवासियों की जानकारी के अनुसार भी विजयसिंह पुत्र श्यामलाल का नाम अशोक है। विजयसिंह व अशोक एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। इस प्रकार प्रार्थी का नाम उसके अन्य रिकार्ड में विजयसिंह होना पाया जाता है। प्रार्थी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत प्रा0पत्र 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम नौगांव की जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के खाता संख्या 319 में दर्ज खातेदार अशोक पुत्र श्यामलाल हिस्सा 1/27 के स्थान पर विजयसिंह पुत्र श्यामलाल हिस्सा 1/27 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुकस्ती की जावे। खाता संख्या 319 की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी

